Con. 3. XII.1.49
320

अंक 12
संख्या 1

मंगलवार
24 जनवरी
सन् 1950 ई.

सत्यमेव जयते

भारतीय संविधान सभा

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

	पृष्ठ
शपथ ग्रहण तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर	4253
राष्ट्रगान के सम्बन्ध में वक्तव्य	4253
नवीन सदस्यों का निर्वाचन	4253-4255
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन	4255-4260
संविधान के हिन्दी संस्करण पर हस्ताक्षर	4260-4261
संविधान पर हस्ताक्षर	4261-4262

भारतीय संविधान सभा

मंगलवार, 24 जनवरी, सन् 1950 ई.

भारतीय संविधान-सभा, कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः ग्यारह बजे अध्यक्ष महोदय माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई।

शपथ ग्रहण तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये:—

श्री रत्नप्पा भरमप्पा कुम्भार (बम्बई राज्य)

डॉ. वाई.एस. परमार (हिमाचल प्रदेश)

राष्ट्रगान के सम्बन्ध में वक्तव्य

***अध्यक्ष:** इस सभा ने अभी एक प्रश्न पर विचार नहीं किया है। वह प्रश्न राष्ट्र-गान का प्रश्न है। एक समय यह विचार किया गया था कि इस विषय को सभा के समक्ष रखा जाये और वह एक प्रस्ताव द्वारा इसके सम्बन्ध में निर्णय करे। किन्तु अब यह समझा गया है कि राष्ट्र-गान के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव स्वीकार करके रस्मी तौर से निर्णय करने के स्थान पर मैं ही एक वक्तव्य दे दूं। इसलिये मैं यह वक्तव्य देता हूं।

जिस गान के शब्द तथा स्वर 'जन-गण-मन' के नाम से विख्यात हैं वह भारत का राष्ट्रगान है किन्तु उसके शब्दों में सरकार की आज्ञा से यथोचित अवसर पर हेर फेर किया जा सकता है। वंदे मातरम्' के गान का जिस का भारतीय स्वतन्त्रता के संग्राम में ऐतिहासिक महत्व रहा है, 'जन, गण, मन' के समान ही सम्मान किया जायेगा और उसका पद उसके समान ही होगा (*हर्षध्वनि*)। मुझे आशा है कि इससे सदस्यों को संतोष हो जायेगा।

नवीन सदस्यों का निर्वाचन

***श्री बी. दास** (उड़ीसा: जनरल): श्रीमान, पिछली बार, सभा विसर्जित करने के पूर्व हमने आपको, अर्थात् संविधान सभा के माननीय अध्यक्ष को उन स्थानों को भरने के लिये, जिन्हें ऐसे लोगों ने रिक्त किया है जो अब इस सभा के

[श्री बी. दास]

सदस्य नहीं रह गये हैं, प्रान्तीय सरकारों तथा भारत सरकार को निर्देश देने के लिए पूर्ण शक्ति प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने संसद के लिये अधिक महिलाओं को निर्वाचित करने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया है। अधिक महिलाओं को निर्वाचित करने के सम्बन्ध में हमने राष्ट्रपति डॉ. पट्टाभी सीतारमय्या का भी एक वक्तव्य देखा है।

***एक माननीय सदस्य:** श्रीमान, मुझे एक औचित्य प्रश्न करना है।

***श्री बी. दास:** अब इस अवसर पर कोई औचित्य प्रश्न नहीं किया जा सकता। मेरा निवेदन है कि वर्तमान स्थिति यह है कि संयुक्त प्रान्त से महिलाओं की तीन रिक्त स्थानों के लिये दो महिलाएं भेजी गई हैं। उड़ीसा प्रान्त से कोई महिला सदस्य नहीं भेजी गई है। अन्य किसी प्रान्त ने महिला सदस्यों को भेजने के लिये विशेष प्रयास नहीं किया है। महिलाओं की संख्या जन संख्या की 50 प्रतिशत है। मैं नहीं चाहता कि अगले निर्वाचन में वे हमसे इस कारण संघर्ष करें। मैं नहीं चाहता कि स्त्रियों और पुरुषों के बीच भीषण संघर्ष हो।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से यदि आप केवल एक प्रश्न पूछें तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रान्त और बरार: जनरल): श्रीमान, क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि कृपा करके बताया जाये कि इस सभा में हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करने के लिये क्या कोई कदम उठाये गये हैं और यदि उठाये गये हैं तो इस समय इस सम्बन्ध में स्थिति क्या है? वही एक ऐसा राज्य है जिसका अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं आया है।

***अध्यक्ष:** मैं प्रश्नों का उत्तर एक-एक करके दूंगा। जहां तक उन स्थानों को भरने का सम्बन्ध है, जो ऐसे सदस्यों के हट जाने से रिक्त हुए हैं जो प्रान्तीय विधान मंडलों के भी सदस्य हैं, तत्विषयक नियमों को संशोधित किया गया है और उन नियमों के अनुसार निर्वाचन किये गये हैं। सभा के निर्णय के अधीन तथा उन नियमों के अधीन महिलाओं के लिये कोई स्थान रक्षित नहीं किये गये हैं। यह निर्वाचकों पर ही निर्भर है कि वे महिलाओं को निर्वाचित करें या न करें। जो व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं वे इस सभा में आये हैं। हम किन्हीं निर्वाचकों को केवल महिलाओं को ही निर्वाचित करने के लिये विवश नहीं कर सकते थे।

दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मैं कह नहीं सकता कि कौन से कदम उठाये गये हैं और कौन से कदम नहीं उठाये गये हैं। वास्तव में इस विषय से सरकार का ही सम्बन्ध है।

***श्री एच.वी. कामत:** क्या मैं जान सकता हूं कि आपके कार्यालय से क्या कोई निदेश दिये गये थे?

***अध्यक्षः** इस सभा में जिन लोगों को सदस्य भेजने का अधिकार था उन सभी से हमने कहा कि वे अपने प्रतिनिधि भेजें। उनसे यह कहा गया था और उसके पश्चात् और कोई कदम नहीं उठाया गया है।

***श्री एच.जे. खांडेकर** (मध्यप्रान्त और बरारः जनरल): क्या मैं जान सकता हूं कि उन स्थानों को, जिन्हें अनुसूचित जातियों के सदस्यों ने रिक्त किया था, आदिवासियों के सदस्यों द्वारा भरने के लिए आपने, अथवा आपके कार्यालय ने, क्या कोई निदेश दिये थे?

***अध्यक्षः** मेरे विचार से इस प्रकार के कोई निदेश नहीं दिये गये थे।

***श्री एच.जे. खांडेकरः** किन्तु कुछ प्रान्तों को यह निदेश दिया गया था कि हरिजनों द्वारा रिक्त किये हुए स्थान आदिवासी सदस्यों द्वारा भरे जायें।

***अध्यक्षः** मैं कह नहीं सकता।

***श्री एच.जे. खांडेकरः** क्या इस प्रकार के कोई निदेश उड़ीसा को दिये गये थे?

***अध्यक्षः** मैं कह नहीं सकता।

***प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेनाः** (संयुक्त प्रान्तः जनरल): क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या संविधान का कोई हिन्दी अनुवाद तैयार किया गया है?

***अध्यक्षः** जी हां, वह तैयार है।

***श्री एच.जे. खांडेकरः** क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि आप उड़ीसा के सम्बन्ध में इसकी पूछताछ करें कि इस सभा के एक हरिजन के स्थान के लिये क्या कोई आदिवासी सदस्य निर्वाचित किया गया है?

***अध्यक्षः** यदि मैं इस पद पर रहा तो मैं इस सम्बन्ध में अवश्य पूछताछ करूंगा।

भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन

***अध्यक्षः** अब निर्वाचन का परिणाम घोषित किया जायेगा। निर्वाचनाधिकारी तथा संविधान सभा के सचिव श्री एच.वी.आर. आयंगर उसे घोषित करें।

***श्री एच.वी.आर. आयंगर** (निर्वाचनाधिकारी तथा संविधान सभा के सचिव): अध्यक्ष महोदय मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि भारत के राष्ट्रपति-पद के लिए केवल एक मनोनयन पत्र प्राप्त हुआ है। उम्मीदवार का नाम डॉ. राजेन्द्र प्रसाद है (*उच्च और लगातार हर्षध्वनि*)। उनका नाम पंडित जवाहरलाल

[श्री एच.वी.आर. आयंगर]

नेहरू ने प्रस्तावित किया है (*पुनः हर्षध्वनि*)। और उसका समर्थन सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया है (*लगातार हर्षध्वनि*)। राष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी नियमों के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन मैं घोषित करता हूं कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिये डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नियमानुसार निर्वाचित किये गये (*लगातार हर्षध्वनि*)।

***माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्त प्रान्तः जनरल): अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी ओर से तथा इस आदरणीय सभा के प्रत्येक सदस्य की ओर से आपको जो उच्च सम्मान प्रदान किया गया है उसके लिये बधाई देता हूं। तीन वर्ष से कुछ अधिक समय पूर्व हमने आपके नेतृत्व में संविधान सभा का कार्य आरम्भ किया था। इन तीन वर्षों में इस देश में ऐसी घटनाएं घटित हुईं कि उनसे देश का स्वरूप ही बदल गया। हमने उपद्रव का और संकट का सामना किया और भारतीय गणराज्य के लिये संविधान का निर्माण करते रहे। अब हमने वह कार्य समाप्त किया है। वह अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं। हमें अब नये कार्य करने हैं। एक दो दिन में एक नवीन अध्याय का आरम्भ होगा। इन तीन संकटपूर्ण वर्षों में आपने हमें अपने सुयोग्य नेतृत्व का परिचय किया। किन्तु हममें से बहुत से लोगों को आप पिछले तेतीस वर्षों में स्वातन्त्र्य संग्राम के मोर्चे पर डटे रहने वाले भारतीय सैनिक के रूप में भी अपनी परिचय दे चुके थे (*हर्षध्वनि*)। श्रीमान, हम आपको अपना नेता समझकर, भारतीय गणराज्य का प्रधान समझ कर तथा एक ऐसा सखा समझ कर आपका स्वागत करते हैं जिन्होंने पिछली पीढ़ी में इस देश के संकटों तथा कष्टों का अडिग होकर सामना किया है। इस सभा ने आज एक कार्य सम्पन्न कर दिया है और अब इस सभा का अस्तित्व नहीं रहेगा, अथवा यों कहिये कि इसका स्वरूप बदल जायेगा और अब यह भारतीय गणराज्य की संसद का रूप धारण कर लेगी। बहुत पहले से हमारे ऊपर जिसका भार था उसे आज हमने पूरा कर दिया है। अब हमें अन्य कार्यों को पूरा करना है। जिस स्वप्न को हम वर्षों से देखते आ रहे थे वह आज पूरा हो गया है। किन्तु हमें अन्य स्वप्नों को तथा अन्य कार्यों को पूरा करना है और उन्हें पूरा करने के लिए अभी तक जितना परिश्रम किया गया है उससे कहीं अधिक परिश्रम करना है। हम सभी को यह जानकर संतोष हुआ है कि भविष्य के कार्यों और संघर्षों में हमें भारतीय गणराज्य के प्रधान के रूप में आपका नेतृत्व प्राप्त रहेगा। श्रीमान, इस गणराज्य के प्रति, जिसके आप सम्मानित राष्ट्रपति होंगे, मैं अपनी वफादारी तथा सत्यनिष्ठा प्रकट करता हूं (*लगातार हर्षध्वनि*)।

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल** (बम्बईः जनरल): अध्यक्ष महोदय तथा मित्रो! यदि श्रीमान, आपकी आज्ञा हो तो इस पवित्र अवसर पर, जब आप राष्ट्र के प्रतिनिधियों के एकमत से राज्य के प्रधान चुने जा रहे हैं मैं भी आपकी

प्रशंसा में अपना योग देना चाहता हूं। माननीय प्रधान-मंत्री महोदय ने जो शब्द कहे हैं उनमें से प्रत्येक का मैं समर्थन करता हूं और आपको जो ऊंचा सम्मान प्रदान किया गया है। उसके लिये आपको बधाई देता हूं। तीन वर्ष से आप संविधान सभा के अध्यक्ष की हैसियत से काम करते रहे हैं और सदस्यों ने देखा है कि आपने इस सभा के कार्य का संचालन किस प्रकार किया है। अत्यधिक कार्य करने के कारण आपका स्वास्थ्य गिरने लगा था और एक समय तो हमें बहुत चिन्ता होने लगी थी। किन्तु परमात्मा की कृपा से आप को स्वास्थ्य-लाभ हुआ और आज यह हमारा सौभाग्य है कि आप भारतीय गणराज्य के प्रधान तथा प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। भारत के इतिहास में आज का दिवस बहुत ही शुभ दिवस है। हमें इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि आपके बुद्धिबल, शान्त स्वभाव तथा सुन्दर व्यवहार के फलस्वरूप इस देश के मान तथा इसकी प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी तथा आपके ओजस्वी नेतृत्व में हमारा देश संसार के राष्ट्रों के बीच एक सम्मानित पद प्राप्त करेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह हमें आपके प्रति सत्यनिष्ठा से वफादार होने, तथा ईश्वर ने आप पर जिस महान कार्य का भार डाला है उसमें पूर्ण सहयोग देने के लिये सद्बुद्धि प्रदान करे। हमें भविष्य में एक ही नाव में बैठकर तूफान का सामना करना है और समुद्र को पार करना है। आपको अपने मृदुल स्वभाव तथा निर्मल हृदय के कारण इस सभा के ही नहीं बल्कि सारे देश के प्रत्येक वर्ग का स्नेह प्राप्त है। आपको जो सम्मान प्रदान किया गया है उसके आप सर्वथा योग्य ही हैं। (*हर्षध्वनि*)।

***श्री बी. दास:** अध्यक्ष महोदय.....

***अध्यक्ष:** श्री दास के बोलने के पूर्व मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के अवसर पर यहां बैठकर ऐसी भावनाओं से परिपूर्ण भाषणों को सुनकर, जिनके योग्य मैं नहीं हूं, मुझे संकोच का ही अनुभव हो रहा है। इसलिये मैं सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि यदि वे बोलना ही चाहते हैं तो वे कुछ वाक्य कह कर ही संतोष कर लें।

***श्री बी. दास** (उड़ीसा: जनरल): श्रीमान, मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि आप भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। दो हजार पांच सौ वर्ष पूर्व आपके प्रान्त में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्होंने सारे एशिया को शान्ति का संदेश सुनाया था। इस शताब्दी में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा द्वारा विश्व-शान्ति स्थापित करने का उपदेश दिया है। आप उनके एक महान अनुयायी हैं। मैं आपको बहुत वर्षों से जानता हूं। इसलिये मुझे पूरी आशा है कि भारत शासन करते हुए तो आप महात्मा गांधी के सिद्धांतों को व्यवहार में लायेंगे ही किन्तु सारे संसार को भी उनका संदेश सुनायेंगे। मनुष्यों के लोभ के कारण लोग सर्वत्र दु:खी हैं। भारत के उत्थान की भी आवश्यकता है। यह परमात्मा की ही

[श्री बी. दास]

इच्छा है कि आप हमारा पथप्रदर्शन कर रहे हैं और हमें अहिंसा के मार्ग से शान्ति की ओर तथा मनुष्यता के एक उच्च स्तर की ओर ले जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आपके नेतृत्व में भारत विश्व शान्ति स्थापित करने तथा मनुष्यों को सुखी बनाने में समर्थ होगा।

***डॉ. एच.सी. मुखर्जी** (पश्चिमी बंगाल: जनरल): श्रीमान, मैं एक विशेष राजनैतिक संगठन का सदस्य हूं किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि इस प्रतिष्ठित पद के लिये आपका एकमत से निर्वाचित होना यह सिद्ध करता है कि आप को किसी बहुसंख्यक राजनीतिक दल ने नहीं निर्वाचित किया है बल्कि सारे राष्ट्र ने निर्वाचित किया है। आपकी सत्यनिष्ठा तथा निस्वार्थ सेवा के कारण ही सारे राष्ट्र ने आपको इस उच्चतम पद पर प्रतिष्ठित किया है। मैं कोई लम्बा भाषण नहीं देने जा रहा हूं क्योंकि आप यह नहीं चाहते हैं। मैं केवल ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपना कर्तव्य पालन करते हुए आप जो कार्य करें उससे आपका अपना अन्त:करण संतुष्ट हो और जिस राष्ट्र ने आपको निर्वाचित किया है वह संतुष्ट हो। आपसे राष्ट्रपिता अवश्य ही संतुष्ट होंगे क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसे देखकर वे अवश्य ही प्रसन्न हो रहे होंगे। अन्त में मैं प्रार्थना करता हूं कि आपसे ईश्वर भी संतुष्ट हों। आप जो कार्य भी करें उसमें आप को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो।

***मि. हुसैन इमाम** (बिहार: मुस्लिम) अध्यक्ष महोदय, आज का दिन हम सभी के लिये और विशेषतया हम बिहारियों के लिये बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज शताब्दियों के पश्चात् आपके समान महान व्यक्तित्व रखने वाला बिहारी भारत की सेवा के लिये आगे बढ़ सका है। श्रीमान, इस सभा में हम सभी को आप नेकी का तथा बुद्धिमता और सहृदयता का परिचय मिला है और हम सभी को आपके निर्वाचित होने से प्रसन्नता हुई है। हम सभी लोग, चाहे हमारी जाति तथा हमारा धर्म और समुदाय कोई भी क्यों न हो, सच्चे हृदय से आपको बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आप इस पद पर रह कर इसका मान तथा इस की प्रतिष्ठा बढ़ायेंगे और भारत के लोगों का हितसाधन करेंगे।

***अध्यक्ष:** मैं आशा करता हूं कि सभा मुझे अब बहस बन्द करने की आज्ञा देगी क्योंकि इन तीन वर्षों में मैं पहली बार इसके लिये आग्रह कर रहा हूं।

***श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले** (मद्रास: जनरल): श्रीमान, मैं सुदूर दक्षिण में स्थित भारत के तमिलनाडु प्रान्त से आया हूं और इस अवसर पर मैं आपको भारत के उच्चतम पद के लिये एक मत से निर्वाचित होने के लिये सच्चे हृदय से बधाई देता हूं क्योंकि इसी पद की छत्रछाया में भारत के भविष्य का स्वरूप निश्चित होगा। श्रीमान, आप हमेशा महात्मा गांधी के पद चिह्नों का ही अनुसरण

करते रहे हैं और भारत के पददलित लोगों के उत्थान के लिये आपने उन्हीं का आदर्श अपने सामने रखा है। श्रीमान, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप दीर्घायु हों और पददलित, पीड़ित तथा अछूत लोगों को और उन लोगों को जो अब कानून की निगाह में अछूत नहीं रह गये है, ऊपर उठाते रहें।

***अध्यक्षः** सभी सदस्य इस काल में मेरे साथ सहयोग करते आये हैं और मुझे आशा है आज अन्तिम दिन वे मुझे उससे वंचित न रखेंगे। इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि अब वे बहस बन्द करें और मुझे अधिक लज्जित न करें।

(सेठ गोविन्द दास बोलने के लिये माइक्रोफोन पर आये)

(विघ्न)

***अध्यक्षः** मुझे आशा है कि यह सभा जिस प्रकार सभी अवसरों पर मेरे साथ सहयोग करती रही है उसी प्रकार इस अवसर पर भी मेरे साथ सहयोग करेगी। जो सदस्य बोलना चाहते हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वे न बोलें।

मैं इसे स्वीकार करता हूं कि यह एक पवित्र अवसर है। बहुत काल तक संग्राम करने के पश्चात् हमने एक मंजिल तय की है और अब हम दूसरी मंजिल की ओर बढ़ने जा रहे हैं। आपने कृपा करके मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा हमेशा यही विचार रहा है कि बधाई उस अवसर पर नहीं दी जानी चाहिये जब कोई व्यक्ति किसी पद पर नियुक्त किया जाता है बल्कि उस अवसर पर दी जानी चाहिये जब वह अपनी सेवा से निवृत होता है। मैं उस समय तक प्रतीक्षा करूंगा जब कि आपने मुझे जो सौंपा है उससे मैं निवृत्त हो जाऊंगा और इस पर विचार कर सकूंगा कि सभी ओर से तथा सभी मित्रों द्वारा मेरा जिस प्रकार विश्वास किया गया और मेरे प्रति जिस प्रकार सद्भावना दिखाई गई उसके योग्य मैं रहा या नहीं रहा। इन प्रशंसापूर्ण भाषणों में मैंने सीमित करने का प्रयास किया है किन्तु फिर भी मुझे उन्हें सुनना ही पड़ा और उन्हें सुनते हुए मुझे महाभारत के एक कथानक का स्मरण हो आया। उस ग्रन्थ में बहुत ही विषम स्थितियों का तथा उनके फलस्वरूप जो जटिल समस्याएं उठ खड़ी होती हैं और श्री कृष्ण उन्हें किस प्रकार हल करते हैं उसका वर्णन है। एक दिन अर्जुन ने यह प्रण किया कि सूर्यास्त के पूर्व मैं अमुक कार्य समाप्त कर दूंगा और यदि समाप्त न कर पाया तो चिता जला कर भस्म हो जाऊंगा। दुर्भाग्य से वे उसे पूरा नहीं कर सके। तब प्रश्न यह उठा कि क्या किया जाये। अपना प्रण पूरा करने के लिये उन्हें भस्म हो जाना चाहिये था किन्तु पांडव यह कैसे होने देते। साथ ही अर्जुन भी अपने प्रण पर अटल थे। श्री कृष्ण ने यह कहकर यह समस्या हल की थी "यदि आप बैठकर अपनी प्रशंसा करें, अथवा अन्य लोगों से अपनी प्रशंसा

[अध्यक्ष]

सुनें तो वह आत्मघात करने और भस्म होने के समान ही है। इसलिये आज ऐसा ही करें और आपका प्रण पूरा हो जायेगा।" प्रायः इसी भावना से मैंने इसी प्रकार के भाषणों को सुना है। मैंने यह अनुभव किया है कि मैं कई बातों को पूरा नहीं कर सका हूं और कई कार्यों को नहीं कर सका हूं और यह भी विचार किया है कि उन्हें पूरा करने का एक उपाय यह है कि इस प्रकार का आत्मघात कर लिया जाये। किन्तु यहां स्थिति भिन्न है। जब हमारे प्रधान मंत्री अथवा उपप्रधान मंत्री मेरे सम्बन्ध में भावना से कुछ कहते हैं तो मेरे लिये भी अपनी भावना का परिचय देना आवश्यक हो जाता है। हम पच्चीस वर्ष से अधिक काल तक बढ़ी घनिष्टता से एक साथ रहे हैं और हमने एक साथ कार्य किया है और संघर्ष किया है। हम कभी विचलित नहीं हुए और साथ ही सफल भी हुए हैं। आज मैं एक आसन पर बैठा हूं तो वे भी मेरे निकट ही अन्य आसनों पर बैठे हुए हैं तथा अन्य मित्र, जिनके साथ सम्बन्ध रहने का मुझे उतना ही गर्व है उन के निकट बैठेंगे और मेरी सहायता करते रहेंगे। जब मैं यह विचार करता हूं कि मुझे इस सभा के सभी सदस्यों तथा इस सभा के बाहर अनेक मित्रों की सद्भावना प्राप्त है तो मुझे विश्वास होता है कि जो कर्तव्य मुझे सौंपा गया है उसे मैं संतोषजनक ढंग से पूरा कर सकूंगा—इस कारण नहीं कि मैं उसे पूरा करने में समर्थ हूं बल्कि इस कारण कि सभी लोगों के प्रयत्नों के फलस्वरूप वह पूरा हो जायेगा।

इस समय देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और मेरी यह धारणा है कि अब हमें जो कार्य करना है वह उस कार्य से भिन्न है जो हम दो वर्ष से करते आये हैं। उसके लिये अधिक लगन, अधिक सावधानी, अधिक तन्मयता और अधिक बलिदान की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि देश ऐसे स्त्री पुरुषों को प्रतिनिधि बना कर भेजेगा जो कर्तव्य भार उठा सकेंगे और लोगों की ऊंची से ऊंची आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। इसके लिये ईश्वर हमें शक्ति दे।

संविधान के हिन्दी संस्करण पर हस्ताक्षर

***अध्यक्षः** अब केवल दो कार्य शेष रह गये हैं। उनमें से एक संविधान के हिन्दी रूपान्तर का प्रमाणीकरण है। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि इस सभा के एक प्रस्ताव द्वारा मुझे यह अधिकार दिया गया था कि मैं संविधान का अनुवाद हिन्दी में कराऊं और 26 जनवरी के पूर्व छपा दूं और प्रकाशित करा दूं। यह कार्य पूरा हो गया है। सभा ने अन्य भाषाओं में भी अनुवाद तैयार कराने, उन्हें छपाने तथा प्रकाशित कराने का अधिकार मुझे दिया था। वह कार्य आरम्भ तो किया गया है किन्तु अभी पूरा नहीं हुआ है।

मैं श्री घनश्याम सिंह गुप्त से निवेदन करता हूं कि वे हिन्दी अनुवाद को मुझे दें ताकि मैं उसे रस्मी तौर पर सभा के समक्ष रखूं और उसका प्रमाणीकरण कर दूं।

(माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्त ने अध्यक्ष महोदय को संविधान के हिन्दी अनुवाद की प्रतियां समर्पित कीं। तत्पश्चात् महोदय ने उन पर हस्ताक्षर किये।)

संविधान पर हस्ताक्षर

***अध्यक्ष:** अब सदस्यों को केवल संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर करने हैं। तीन प्रतियां तैयार हैं। एक अंग्रेज़ी की प्रति है जो हाथ से लिखी गई है और जिस पर कलाकारों ने चित्र अंकित किये हैं। दूसरी प्रति अंग्रेज़ी की छपी हुई प्रति है। तीसरी प्रति हाथ से लिखी हुई हिन्दी की प्रति है। तीनों प्रतियां मेज पर रख दी गई हैं। सदस्यों से प्रार्थना है कि वे एक-एक कर के आयें और प्रतियों पर हस्ताक्षर करें। विचार यह है कि इस सभा में वे इस समय जिस क्रम से बैठे हुए हैं उसी क्रम से उन्हें बुलाया जाये। प्रधान-मंत्री महोदय को सार्वजनिक कार्य के लिये शीघ्र जाना है, इस लिये मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे पहले हस्ताक्षर करें।

(माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने तत्पश्चात् संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किये।)

श्री अलगू राय शास्त्री (संयुक्त प्रान्त: जनरल): माननीय सभापति जी, मैं आप से एक प्रार्थना करना चाहता हूं और वह यह कि अब इस विधान-परिषद् का कार्य समाप्त हो गया है और उसका कार्यालय बन्द हो जायेगा। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कर्मचारी इसके कार्यालय में कार्य करते रहे हैं उनकी सेवायें किसी न किसी रूप में जारी रहनी चाहिये। ऐसा न हो कि 26 जनवरी को जब सारा देश आमोद-प्रमोद मनावे तो ये कर्मचारी उसमें हिस्सा न ले सकें जिसके कि वे पात्र हैं। बस, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** मैं इस सम्बन्ध में इतना कहना चाहता हूं कि इस सवाल को मैंने पहले ही से अपने सामने रखा है और गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से और दूसरे डिपार्टमेंटों से लिखा पढ़ी की है कि जितने लोग हमारे दफ्तर में काम करते थे उनको, जहां तक हो सके, और दफ्तरों मैं जगहें दे दी जायें और इस बात की कोशिश हो रही है। मैं आशा करता हूं कि उनमें से अगर सब नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी काम में लग जायेंगे और जो बाकी रह जायेंगे उनके लिये भी कोशिश की जायेगी।

सदस्य अब दाहिनी ओर से अर्थात् जैसे कि वे अब बैठे हुए हैं, मद्रास की ओर से एक-एक करके आयें और एक-एक करके हस्ताक्षर करें।

(सदस्यों ने तत्पश्चात् संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किये।)

***अध्यक्षः** माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे अपनी जगहों पर बैठ जायें और जब उनके नाम पुकारे जायें, यहां आकर हस्ताक्षर करें। श्री खन्ना क्रमानुसार सदस्यों के नाम पुकारेंगे।

(तत्पश्चात् अवशिष्ट सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किये और उसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने उन पर हस्ताक्षर किये।)

***अध्यक्षः** क्या किसी सदस्य महोदय ने अभी हस्ताक्षर नहीं किये हैं? यदि किसी ने नहीं किये हैं तो वे बाद में दफ्तर में जाकर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

***माननीय सदस्यः** बन्दे मातरम्।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रासः जनरल) श्रीमान यदि आपकी आज्ञा हो तो हम सभी "जन, गण, मन" गान गाना चाहते हैं।

***अध्यक्षः** जी हां, आप गायें।

(श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने अन्य सदस्यों के साथ "जन, गण, मन" गान गाया। सभी सदस्य खड़े रहे।)

***अध्यक्षः** "बंदे मातरम्।"

(तत्पश्चात् लक्ष्मीकांत मैत्र ने अन्य सदस्यों के साथ "बन्दे मातरम्" का गान गाया। सभी सदस्य खड़े रहे।)

***अध्यक्षः** अब सभा अनिश्चित तिथि तक के लिये स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् संविधान सभा अनिश्चित तिथि तक के लिये स्थगित हो गई।

———————

GIPD–HS-348PSD–8-12-53–320.